

255/CC
08/08/14

RTI LETTER
SPEED POST

समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002
(विकलांग कल्याण शाखा)

F.No.82/1003/RTI/AD-III/DSW//2014/

Dated:

सेवा में,

श्री विनोद,
पु0 श्री गंगाराम,
जिला कारागार रोहिणी,
वार्ड न0 2, बैरेक नं0.4,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ;
सन्दर्भ: आई.डी. नं.178/आर.टी.आई. शाखा/स.क.वि./2014 दिनांक: 01.07.2014.

महोदय,

आपके द्वारा भेजा गया आर.टी.आई.आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के विकलांग शाखा में दिनांक 04.08.2014 को प्राप्त हुआ । इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिवेदन जो कि आपने माननीय उपराज्यपाल महोदय दिल्ली को लिखा था इस शाखा में प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु आपकी समस्या के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके बच्चे की उम्र यदि 18 वर्ष से कम है तो आप अपने क्षेत्र के बाल कल्याण समिति, कस्तूरबा निकेतन परिसर, लाजपत नगर.-II नई दिल्ली से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

भवदीय,

जन सूचना अधिकारी/सह निदेशक
(विकलांग कल्याण शाखा)